

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक-प. 5(7)गृह-1 / 2026 (32388)

जयपुर, दिनांक : हस्ताक्षरित तिथि

—: आज्ञा :-

राजस्थान राज्य एवम् अधीनस्थ सेवाएँ (संयुक्त प्रतियोगी) परीक्षा, 2024 के परिणाम के आधार पर एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान पुलिस सेवा नियम, 1954 के नियम 25 व 30 के अनुसरण में महामहिम राज्यपाल महोदय निम्नांकित सफल अभ्यर्थियों को राजस्थान पुलिस सेवा में दो वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में उपस्थिति देने की संगत तिथि से राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश/परिपत्र तथा सेवा नियमों के अनुसार देय स्थिर पारिश्रमिक/वेतन भत्तों पर एतद् द्वारा नियुक्त करते हैं:-

SNO	MERIT NO	ROLL NO	NAME	BIRTH DATE	CATEGORY
1	2	3	4	5	6
1.	42	1005674	GOGA RAM	10-06-1999	BC
2.	43	1011683	JITENDRA	02-06-1996	BC
3.	44	1003474	AMIT PARIHAR	05-08-1999	BC
4.	47	1016490	SUNIL BISHNOI	24-10-1994	BC
5.	48	1007250	TULSI	22-09-1998	BC,WE
6.	50	1003237	DHARMRAJ SINGH RAO	28-09-1990	BC,TSP-UR
7.	51	1003250	JUHIL KOTHARI	11-01-1994	GE
8.	53	1003748	NEERAJ JANGID	09-06-1998	BC
9.	54	1007813	VINOD CHOUDHARY	02-07-1996	BC
10.	58	1005700	SACHIN AGRAWAL	16-06-1998	GE
11.	60	1009802	RAJA RAM TETARWAL	01-08-2001	BC
12.	62	1005371	ANIL KUMAR	01-01-1988	BC
13.	63	1004232	PAWAN KUMAR	18-05-1990	BC
14.	64	1007228	SUMITRA BISHNOI	18-03-2003	BC,WE
15.	65	1022158	ARIMARDAN SINGH CHAUHAN	06-05-1994	GE
16.	67	1005840	HEMLATA CHOUDHARY	14-10-1999	BC,WE
17.	70	1007482	KRITIKA GAUR	25-12-1996	GE,WE,SP
18.	71	1003328	URMILA VISHNOI	15-08-1997	BC,WE
19.	72	1010174	MAHENDRA	01-02-1999	BC
20.	74	1008844	MAHENDRA DAN	21-07-2001	BC
21.	75	1005694	YASHIKA KACHHWAHA	26-08-1995	GE,WE
22.	76	1023326	SIDDHARTH DHAKAD	14-05-1997	BC
23.	79	1020779	NITESH GUPTA	21-02-1992	GE
24.	80	1006209	VIKASH BISHNOI	13-01-1994	BC
25.	81	1011484	ASLAM KHAN	12-12-1997	BC
26.	83	1005271	KAILASH KUMAR	04-08-2002	BC
27.	85	1003958	MOHIT GODARA	26-04-1997	BC
28.	87	1012950	RAM RATAN BATESAR	30-12-1994	BC
29.	90	1021788	ANCHAL RUNGTA	07-12-1999	GE,WE
30.	91	1009745	SUMIT KUMAR	15-03-2000	BC
31.	93	1009636	SAHIL JURASIA	18-10-1999	BC
32.	95	1007447	SHUBHAM SONI	05-09-2000	BC
33.	107	1009210	BHAJAN LAL	19-11-1995	BC,ME,NG
34.	125	1012181	GULBAZ KHAN PATHAN	25-07-1996	EWS

संयुक्त शासन सचिव, गृह (पुलिस) विभाग, 1112 प्रथम तल, मुख्य भवन, शासन सचिवालय, जयपुर।
0141-2227294, IP 2820457/Ext.-22325, 22324 Email : home.police@rajasthan.gov.in

SNO	MERIT NO	ROLL NO	NAME	BIRTH DATE	CATEGORY
1	2	3	4	5	6
35.	131	1003147	YASHVARDHAN SINGH RATHORE	16-08-1994	EWS
36.	132	1003019	MANGLA RAM	05-01-1996	BC,NG
37.	137	1012070	NARESH KUMAR	08-05-1999	BC,NG
38.	145	1009011	ARCHIT KANTHALIYA	25-04-2001	EWS
39.	150	1004375	SONU JINDAL	10-10-1994	EWS
40.	151	1023329	SURBHI DHIDHARIA	06-01-1996	BC,WE
41.	154	1021318	SANGEETA KUMAWAT	13-06-2000	BC,WE
42.	157	1006338	PRADEEP KUMAR JOSHI	08-05-1998	EWS,TSP-UR
43.	160	1016226	ASHOKKUMAR SIYARAM MEENA	08-09-1999	ST
44.	164	1017497	NEHA CHOUDHARY	16-12-1998	BC,WE
45.	178	1005277	NIKITA SINGH	11-06-1999	EWS,WE
46.	236	1012790	SUSHIL KUMAR MEENA	10-03-1999	ST
47.	240	1003226	DIVYA MUNJAL	06-04-1997	EWS,WE
48.	303	1012739	VINOD GURJAR	10-08-1992	MB
49.	352	1012606	PRIYA SHARMA	01-07-2000	EWS,WE
50.	362	1017659	SACHIN	09-09-2000	MB
51.	628	1021338	MAHAVEER SINGH	01-10-1984	GE,EX
52.	631	1005437	ASHOK SINGH	29-09-1986	BC,EX
53.	706	1006880	YOGENDRA MEENA	10-05-2001	ST
54.	724	1019676	LALIT KUMAR BAMANAWAT	17-08-1998	ST
55.	727	1008634	PAYAL JUNAGAL	18-02-1999	SC,WE
56.	734	1006047	ARVIND KUMAR GARG	05-05-1981	SC
57.	754	1014775	PRADEEP KUMAR MEENA	14-01-2001	ST
58.	758	1024354	MOHIT DHOBI	10-04-2002	SC
59.	781	1024205	DEEPESH MEENA	19-06-1999	ST
60.	869	1023972	SUMAN GURJAR	09-07-1993	MB,WE,NG
61.	911	1013105	BHANU PRATAP SINGH	22-08-2000	SC
62.	916	1012855	HIMANSHU BENIWAL	17-08-2001	SC
63.	969	1018813	MITIN DEV	10-12-1992	SC
64.	989	1022990	RAJESH KUMAR MEENA	10-05-1994	ST
65.	1004	1016612	KOMAL KUMARI MEENA	26-10-2000	ST,WE
66.	1047	1024171	HIMANSHU KUMAR	01-10-1999	SC
67.	1051	1005405	LADHU RAM	13-11-2001	SC
68.	1056	1017433	PRIYANKA MEENA	15-05-1991	ST,WE
69.	1096	1013980	BRIJESH KUMAR MEGHWAL	03-06-1998	SC
70.	1168	1011989	MAYANK BAGHMAR	16-05-1998	SC
71.	1183	1004732	DEVA RAM	08-09-1987	SC
72.	1533	1019385	POOJA JATAWAT	27-07-1995	SC,WE,NG
73.	1692	1022619	PRITIKA JAI BANSHIWAL	09-08-1997	SC,WE
74.	1798	1015183	DHEERENDRA SINGH	01-06-1988	SC,EX
75.	2053	1003388	MONU KANWAR	15-07-1991	BC,WE,WD
76.	2093	1020259	ARCHANA TIWARI	01-01-1987	GE,WE,WD
77.	2158	1011511	KAMINI	11-09-1983	BC,WE,WD
78.	2174	1022934	KAMLESH GURJAR	01-06-1995	MB,WE,WD
79.	2246	1019190	PRIYANKA MEENA	10-07-1991	ST,WE,WD

संयुक्त शासन सचिव, गृह (पुलिस) विभाग, 1112 प्रथम तल, मुख्य भवन, शासन सचिवालय, जयपुर।
0141-2227294, IP 2820457/Ext.-22325, 22324 Email : home.police@rajasthan.gov.in

SNO	MERIT NO	ROLL NO	NAME	BIRTH DATE	CATEGORY
1	2	3	4	5	6
80.	2324	1017434	SUMAN BAI	11-10-1999	SC,WE,WD

1. उक्त नियुक्ति आज्ञा एस. बी. सिविल रिट याचिका संख्या 9227/25, 6956/26, 6021/26, 8011/26, 6600/26, 6381/26, 6454/26, 4054/25, 7925/26, 9386/26 एवं उक्त परीक्षा के संबंध में दायर विभिन्न रिट याचिकाओं/विशेष अनुमति याचिकाओं एवं समस्त वादकरण के अन्तिम निर्णयों के अध्यधीन रहेगी।
2. उक्त नियुक्ति समस्त मूल दस्तावेजों की जांच के अध्यधीन रहेगी।
3. जिन अभ्यर्थियों का पुलिस सत्यापन Attestation Form में उल्लेखित सभी स्थानों से प्राप्त नहीं हुआ है, उनकी नियुक्तियां सभी स्थानों से पुलिस सत्यापन प्राप्त होने तक प्रोविजनल रहेगी।
4. इन परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी को वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक: प. 15(1)वित्त/नियम/2017 दिनांक 30.10.2017 (Schedule IV Rules no.16) के अनुसरण में नियत पारिश्रमिक दिया जायेगा। यह पारिश्रमिक माननीय उच्चतम न्यायालय में लंबित एस0एल0पी0 सं. 25565/2015 राजस्थान राज्य बनाम गोपाल कुमावत के निर्णय के अध्यधीन होगा।
5. गर्भवती महिलाओं के लिए कार्मिक(क-2) विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 15(1)कार्मिक/क-2/74 दिनांक 16.08.2005 में वर्णितानुसार नियुक्ति आदेश प्रभावी होंगे।
6. उक्त अभ्यर्थियों की जन्म तारीख वही है, जो इन्होंने परीक्षा के आवेदन पत्रों में अंकित की है और जिन्हें राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा सम्यक सत्यापन के पश्चात स्वीकार किया गया है।
7. यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त अभ्यर्थियों की नियुक्तियाँ राजस्थान पुलिस सेवा नियम 1954 के नियमों के नियम 30 के उपबन्धों और अपेक्षाओं के अनुसार की गई हैं।
8. उक्त नियुक्तियाँ सम्बन्धित सेवा नियमों और सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों एवं शर्तों के अध्यधीन हैं।
9. उक्त अभ्यर्थियों को परिवीक्षाकाल में विहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। परिवीक्षा अवधि में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करने की स्थिति में अथवा राज्य सरकार द्वारा अन्यथा आवश्यक समझे जाने पर परिवीक्षा अवधि स्वविवेकानुसार बढ़ाई जा सकती है। निर्धारित अवधि में विभागीय परीक्षा में दो बार से अधिक अनुत्तीर्ण होने पर इन्हें सेवा से मुक्त किया जा सकेगा।
10. यदि राज्य सरकार की राय में इनका कार्य या आचरण परिवीक्षा की समयावधि में संतोषप्रद नहीं पाया जाये अथवा यह प्रतीत हो कि इनमें एक दक्ष राजस्थान पुलिस सेवा अधिकारी होने की क्षमता नहीं है, तो सरकार इन्हें सेवा से तुरन्त विमुक्त कर सकेगी।
11. सेवा में नियुक्त किये गये अभ्यर्थियों में से कोई भी अभ्यर्थी यदि प्रशिक्षण की कालावधि के दौरान या प्रशिक्षण की समाप्ति के दो वर्षों के भीतर त्याग-पत्र दे देता है या कोई अन्यत्र नियुक्ति ग्रहण कर लेता है, तो प्रशिक्षण की कालावधि के दौरान उसे संदत्त की गई परिलब्धियों की दो गुणा राशि तथा सरकार द्वारा उसके प्रशिक्षण पर व्यय की गई राशि की दो गुणा राशि सरकार को प्रति संदत्त करने की अपेक्षा की जायेगी तथापि यात्रा और दैनिक भत्तों के रूप में संदत्त रकम वसूली योग्य नहीं होगी। अभ्यर्थी सेवा ग्रहण करने से पूर्व विहित प्रारूप में इस आशय का एक बन्धक पत्र निष्पादित करेंगे।
12. राजस्थान यात्रा भत्ता नियमों के अनुभाग-1 अध्याय में आने वाले मामलों को छोड़कर सेवा ग्रहण करने के लिए कोई यात्रा भत्ता संदत्त नहीं होगा।
13. जिन अभ्यर्थियों ने आधारभूत पाठ्यक्रम पहले से उत्तीर्ण कर लिया है, वे आधारभूत पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने की अंकतालिका रिपोर्टिंग के समय इस विभाग को आवश्यक रूप से अविलम्ब (कमरा नं. 1113, मुख्य भवन, शासन सचिवालय, जयपुर) में उपस्थिति प्रस्तुत करेंगे।
14. अभ्यर्थियों को यह निर्देशित किया जाता है कि वे अविलम्ब अपने आवश्यक दस्तावेजों सहित निम्नलिखित सामग्री के साथ इस विभाग (कमरा नं. 1113, मुख्य भवन, शासन सचिवालय, जयपुर) में अपनी उपस्थिति प्रस्तुत करेंगे:-

संयुक्त शासन सचिव, गृह (पुलिस) विभाग, 1112 प्रथम तल, मुख्य भवन, शासन सचिवालय, जयपुर।

0141-2227294, IP 2820457/Ext.-22325, 22324 Email : home.police@rajasthan.gov.in

1. पासपोर्ट साईज फोटो की 03 फोटो स्टाम्प साईज फोटो 03 प्रतियां।
 2. विवाह पंजीयन प्रमाण-पत्र (यदि विवाहित है)
 3. बैंक अकाउन्ट का विवरण (पासबुक के प्रथम पृष्ठ की छाया प्रति स्वप्रमाणित, एक कैंसिल चैक)।
 4. पैन कार्ड एवं आधार कार्ड की फोटोप्रति स्वप्रमाणित।
 5. जन-आधार कार्ड की फोटोप्रति स्वप्रमाणित।
 6. कक्षा 10 की अंकतालिका प्रमाण-पत्र।
15. अभ्यर्थियों के लिए हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर में प्रशिक्षण के संबंध में अलग से आदेश जारी किये जायेंगे।
 16. बकाया चरित्र सत्यापन में विलम्ब की स्थिति में ऐसे अभ्यर्थियों को पूर्ण रूप से प्रोविजनल मानते हुए इनकी नियुक्ति चरित्र सत्यापन रिपोर्ट के अध्यक्षीन रहेगी। यदि किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध प्रतिकूल चरित्र सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होती है, तो उसकी नियुक्ति स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी। इस संबंध में अभ्यर्थी का नियुक्ति हेतु दावा मान्य नहीं होगा।
 17. नियुक्ति से पूर्व आपराधिक प्रकरणों के संबंध में अभ्यर्थी को "Self declaration" अथवा शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध प्रतिकूल रिपोर्ट पाई जाती है तो ऐसे अभ्यर्थी की नियुक्ति निरस्त समझी जावेगी, साथ ही नियमानुसार आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी ऐसे अभ्यर्थी के विरुद्ध अमल में लाई जावेगी (परिशिष्ट 'ब')।
 18. नियुक्त अभ्यर्थी जो विवाहित है, उन्हें अपना विवाह पंजीयन प्रमाण-पत्र एवं जीवित संतान/संतानों की सूचना उपस्थिति के समय प्रस्तुत करनी होगी, अन्यथा उपस्थिति की अनुमति प्रदान नहीं की जावेगी। दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात् दो से अधिक सन्तान होने वाले अभ्यर्थी नियुक्ति के पात्र नहीं हैं। परन्तु प्रथम प्रसव से एक जीवित सन्तान है एवं पश्चावर्ती प्रसव में एक से अधिक सन्तान होने पर ऐसी सन्तानों को एक इकाई ही माना जायेगा (परिशिष्ट 'ब')।
 19. कोई अभ्यर्थी राजकीय/केन्द्रीय/निगम/बोर्ड/स्वायत्तशासी संस्थान में नियोजित है, तो वहां से कार्यमुक्त होकर कार्य मुक्ति आदेश तथा उस विभाग की विभागीय जांच नहीं होने/होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे।
 20. कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र क्रमांक 7(13)कार्मिक/क-2/23 दिनांक 11.05.2023 के द्वारा संविधान के प्रति निष्ठा का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। (परिशिष्ट 'ब')
 21. उक्त अभ्यर्थियों में से यदि कोई अभ्यर्थी निश्चित तिथि के 7 दिवस पश्चात् तक भी रिपोर्ट नहीं करते हैं और न ही किसी प्रकार की सूचना विभाग को भिजवाते हैं, तो उनके नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जावेंगे।
 22. उक्त नियुक्ति राजस्थान पुलिस सेवा नियम, 1954 के अध्यक्षीन रहेगी।
 23. उक्त सभी अभ्यर्थी कार्यग्रहण स्थान पर परिशिष्ट 'अ' व 'ब' में सूचना भरकर अपने मूल दस्तावेजों मय फोटोयुक्त पहचान पत्र के साथ नियत स्थान पर उपस्थित हों।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(मनीष गोयल)

संयुक्त शासन सचिव, पुलिस

0141-2385838

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :-

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, मंत्री/राज्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
4. उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान, जयपुर।
5. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/शासन विशिष्ट सचिवगण।
6. महानिदेशक, हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर एवं पदेन अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रशिक्षण, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि प्रशिक्षण के समय उपस्थिति

संयुक्त शासन सचिव, गृह (पुलिस) विभाग, 1112 प्रथम तल, मुख्य भवन, शासन सचिवालय, जयपुर।

0141-2227294, IP 2820457/Ext.-22325, 22324 Email : home.police@rajasthan.gov.in

प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थियों से उक्त आज्ञा के बिन्दु संख्या 11 में उल्लेखित “बन्ध पत्र” व इस विभाग द्वारा जारी मूल दस्तावेज मिलान प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही प्रशिक्षण हेतु इनकी उपस्थिति सुनिश्चित कर इस विभाग को तत्काल अवगत करावें। साथ ही राजस्थान पुलिस सेवा के अधिकारियों के आधारभूत/संस्थागत प्रशिक्षण के संबंध में नोडल अधिकारी श्री राजेश जैन, वरिष्ठ शासन उप सचिव (मो. 9460728237) गृह (ग्रुप-1) से समन्वय करने का श्रम करें।

7. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
8. निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी, राजस्थान, जयपुर।
9. संयुक्त शासन सचिव, गृह (ग्रुप-1) विभाग।
10. संयुक्त शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग/प्रशासनिक सुधार विभाग।
11. निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर।
12. निदेशक, पेंशन एवं पेंशन वेलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
13. निदेशक, सूचना एवं जन संपर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु।
14. संबंधित अधिकारीगण।
15. वरिष्ठ शासन उप सचिव, गृह (ग्रुप-6) विभाग — उक्त नियुक्ति आदेश विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
16. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव, पुलिस

प्रतिलिपि निम्नांकित को भी सूचनार्थ प्रेषित है :—

1. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
2. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।

संयुक्त शासन सचिव, पुलिस

संयुक्त शासन सचिव, गृह (पुलिस) विभाग, 1112 प्रथम तल, मुख्य भवन, शासन सचिवालय, जयपुर।

0141-2227294, IP 2820457/Ext.-22325, 22324 Email : home.police@rajasthan.gov

सेवा में,

श्रीमान संयुक्त शासन सचिव,
गृह (ग्रुप-1) विभाग,
शासन सचिवालय, जयपुर।

वर्तमान
पासपोर्ट साईज फोटो

विषय :-राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएँ संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा-2024 में सफल, राजस्थान पुलिस सेवा के पद पर नियुक्त अधिकारियों द्वारा उपस्थिति के समय व्यक्तिगत जानकारी उपलब्ध कराने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रार्थी का चयन राजस्थान पुलिस सेवा संवर्ग में होने के फलस्वरूप आज दिनांक..... को प्रातः/दोपहर/शाम बजे गृह (ग्रुप-1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर में उपस्थिति प्रस्तुत कर आदिनांक की स्थिति में प्रार्थी की व्यक्तिगत सूचना निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

क्रम सं०	चाही गई सूचना	विवरण
1	प्रशिक्षु अधिकारी का नाम	
2	पिता का नाम	
3	जन्मतिथि	
4	दूरभाष नं०	
5	ई-मेल आई.डी.	
6	स्थायी पता	
7	वर्तमान पता	
8	मूल निवास स्थान (मूल निवास प्रमाण पत्र के आधार पर)	
9	मोबाईल नं०	
10	आपातकालीन मोबाईल नं०	
11	सन्तानों की सूचना का विवरण	
12	अन्तिम शैक्षणिक योग्यता	
13	पूर्व में राज्य सेवा में होने की स्थिति में प्रथम नियुक्ति दिनांक	
14	विवाहित अथवा अविवाहित	
15	वर्तमान स्थिति में विभागीय जांच/ एफआईआर/ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण के संबंध में सूचना का पूर्ण विवरण	

हस्ताक्षर मय दिनांक

(रु. 50 / – के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर मुद्रित करवाकर नोटरी पब्लिक से प्रमाणित करावें)

एकल शपथ-पत्र

मैंपुत्र/पुत्री श्री
निवासी.....

रोल नं0..... राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं, संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, 2024 में राजस्थान पुलिस सेवा के पद पर अभिस्तावित हुआ/हुई हूँ।

- 1. मैं शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं, संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, 2024 की पूर्ण प्रक्रिया में एवं अभिस्तावित पद हेतु निर्धारित मानदंडों के अन्तर्गत आवश्यक प्रमाण पत्रों के निर्माण हेतु स्वयं उपस्थित रहा/रही हूँ। मेरे द्वारा, मेरे स्थान पर उक्त भर्ती परीक्षा में किसी भी स्तर पर डमी अभ्यर्थी नहीं बिठाया गया/गयी है।
- 2. मैं शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि मेरा विवाह दिनांकको हुआ। विवाह के समय मैं या मेरे घरवालों द्वारा न तो दहेज लिया है। न ही दहेज दिया गया है।

अथवा

मैं शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि मेरा विवाह/पुनर्विवाह अभी तक नहीं हुआ है और भविष्य में जब भी होगा तब मैं या घरवाले ना तो दहेज लेंगे/ना ही दहेज देंगे तथा भविष्य में विवाह होने पर 01 माह में विभाग को अवगत करवाते हुये दहेज नहीं लेने/देने के संबंध में आवश्यक शपथ पत्र प्रस्तुत कर दुंगा/दुंगी।

- 3. मैं शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि दिनांक 31.05.2002 तक मेरे बच्चों (पुत्र/पुत्री) की संख्या..... थी, जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	नाम	जन्म तिथि
1.		
2.		

दिनांक 01.06.2002 को अथवा इसके पश्चात मेरे बच्चों (पुत्र/पुत्री) की संख्या में वृद्धि हुई है एवं वर्तमान में मेरे बच्चों (पुत्र/पुत्री) की कुल संख्या.....है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	नाम	जन्म तिथि
1.		
2.		

- 4. मैं शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा विभाग में जो शैक्षणिक योग्यता संबंधी दस्तावेज/प्रमाण पत्र/शपथ पत्र प्रस्तुत किये है वह बिल्कुल सही एवं सत्य है।
- 5. मैं शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि मुझे किसी भी न्यायालय द्वारा दण्डित नहीं किया गया है एवं मेरे विरुद्ध किसी भी पुलिस थाने में कोई आपराधिक वाद/मुकदमा दर्ज नहीं है, जिसके प्रमाण स्वरूप मैंने पुलिस द्वारा सत्यापित चरित्र सत्यापन प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया है यदि इसके बावजूद भी नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी के संज्ञान में आता है, तो मेरी नियुक्ति समाप्त किए जाने का नियुक्तिकर्ता को पूर्ण अधिकार होगा, जिसके लिए मैं प्रार्थी पूर्णरूप से जिम्मेदार रहूंगा/रहूंगी।
- 6. मैं शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि मैं उक्त पद हेतु राजस्थान सरकार के द्वारा निर्धारित नियत वेतन पर कार्य करने की अपनी सहमति देता/देती हूँ।
- 7. मैं वचनबद्ध हूँ कि मैं धूम्रपान एवं गुटखे का सेवन नहीं करता/करती हूँ।
- 8. मैं शपथ पूर्वक शपथ लेता/लेती हूँ एवं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता/करती हूँ कि भारत और विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा/रखूंगी तथा अपने पद के कर्तव्यों का राजभक्ति, ईमानदारी और निष्पक्षता से पालन करूंगा/करूंगी।

शपथग्रहिता

सत्यापन

मैं उपरोक्त शपथग्रहिता सत्यापित करता/करती हूँ कि उक्त शपथ पत्र की मद संख्या 1 से 8 सही व सत्य है। इसमें कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है। ईश्वर साक्षी है।

शपथग्रहिता

स्थान :
दिनांक :

राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा-2024 में
सफल, राजस्थान पुलिस सेवा के पद पर नियुक्त अभ्यर्थियों के कार्यग्रहण
व्यवस्था हेतु नोडल अधिकारी

01.श्री राजेश जैन, वरिष्ठ शासन उप सचिव (मो0 नं0 9460728237)

02.श्री मुकेश पाराशर, सहायक शासन सचिव (मो0 नं0 9829062668)